न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-80RAAJodhpur2022-26RTA223 Manoharsingh ors Vs Vijaysingh etc

01. मनोहरसिंह पुत्र स्व. भंवरसिह
02. गणपतसिंह पुत्र स्व. भवरसिंह
    जातियान राजपुत, निवासीगण ग्राम निम्बों का तालाब, तहसील बापिणी जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. विजयसिंह पुत्र धोकलसिंह फौत के कायम मुकामः–
   1.1. कुम्भसिंह गोदपुत्र विजयसिंह
2. पूंजरासिंह पुत्र धोकलसिंह
3. जमनाकंवर पुत्री धोकलसिह फौत के कायम मुकाम–
   3.1. भवरसिंह पुत्र जमनाकंवर
   3.2. उषांकवर पुत्री जमनाकंवर
4. खमाकंवर पुत्री धोकलसिंह
5. समुकंवर पुत्री धोकलसिह
6. रामुकंवर पुत्री धोकलसिह
   जातियान राजपूत, निवासीगण ग्राम निम्बों का तालाब, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।
7. प्रेमसिंह पुत्र स्व. भंवरसिह
8. सुगनकंवर पत्नी भंवरसिंह
9. अलीदानसिंह पुत्र शिवदानसिह
10. सगतसिंह पुत्र शिवदानसिंह
11. गोविन्दसिंह पुत्र शिवदानसिंह फौत के कायम मुकाम–
    11.1. करणीसिह पुत्र गोंविन्दसिंह
    11.2. उगमसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
    11.3. शेरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
    11.4. जसुकंवर पत्नी गोविन्दसिंह
12. डूंगरसिंह पुत्र शिवदानसिंह
13. आईदानसिंह पुत्र शिवदानसिंह
14. पदमसिंह पुत्र शिवदानसिंह
15. दलपतसिंह पुत्र शिवदानसिंह
16. दानसिंह पुत्र शिवदानसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

17. हमीरसिंह पुत्र लाल सिंह फौत के कायम मुकाम–

17.1. कानसिंह पुत्र हमीरसिंह

17.2. सांगसिंह पुत्र हमीरसिंह

17.3. कुम्भसिंह पुत्र हमीरसिंह

जातियान राजपूत, निवासीगण–ग्राम निम्बो का तालाब, तहसील बापिणी जिला फलोदी ।

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 सितंबर 2005, संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 मई 2008 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 46/2002 विजयसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि

उपस्थित–

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या 02

श्री प्रेम कुमार, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या 07 से 10, 12 से 16

श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या रेस्पोडेंट संख्या 17/1 से 17/3

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 18

नि र्ण य

दिनांक : 01 मार्च 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 46/2002 अनवान विजयसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 सितंबर 2005 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 मई 2008 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 07 मार्च 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से सात ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी ग्राम निम्बो का तालाब के खसरा नंबर 42 रकबा 34 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 161 रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 170 रकबा 140 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 206 रकबा 54 बीघा 17 बिस्वा, खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नंबर 209 रकबा 52 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 214 रकबा 102 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 219 रकबा 71 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 135 रकबा 103 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 331 रकबा 38 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 213 रकबा 39 बीघा खसरा नंबर 234 रकबा 79 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 322 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 108 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 210 रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 183 रकबा 07 बिस्वा के संबंध धारा 88, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31 मई 2004 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार औसियां से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार औसियां से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 14 दिसंबर 2005 पारित की गई तथा तत्पश्चात संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 मई 2008 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। सर्वप्रथम अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर निवेदन किया कि अपीलांट्स के पिता स्व. भंवरसिंह में विचारण न्यायालय में मूल वाद में बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित थे। स्व. भंवरसिंह का जनवरी 2005 में देहांत हो गया था। रेस्पोडेंट्स/वादीगण ने मृतक प्रतिवादी भंवरसिंह की कायम मुकाम कार्यवाही किये बिना तथा उनके वारिसान् को रेकर्ड पर लिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 14.02.2022 को रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स को मौके से बेदखल किये जाने की धमकी दी तथा कहा कि वादग्रस्त आराजी न्यायालय के निर्णय से हमारे बंट में रखी गई है। तब अपीलार्थीगण ने आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु दिनांक 15.02.2022 को आवेदन किया जो दिनांक 18.02.2022 को नकल प्राप्त होने पर प्रथम बार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट्स द्वारा जानबूझकर या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई देरी नहीं की गई है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जावे एवं अपील को गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने हेतु अन्दर म्याद शुमार की जावे।

गुणावगुण पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी में निवेदन किया कि तहसीलदार औसियां द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सभी सह खातेदारो को कोई नोटिस नही दिया गया था। अपीलार्थीगण के पिता का देहान्त हो चुका था, फिर भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। तहसीलदार औसिया द्वारा बिना मौके पर आये, बिना कब्जे काश्त की जांच किये वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता सात के कहे अनुसार मौके से विपरित्त विभाजन प्रस्ताव तैयार किया, जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना हु–ब–हु स्वीकार कर लिया, जबकी वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेन्ट सख्या एक ता सात वादीगण को जो हिस्सा विभाजन प्रस्ताव में दिया है, उन खसरो में अपीलार्थीगण व अन्य सह खातेदारो का कब्जा व काश्त है व मौके पर पीढीयों से उनकी ढाणीया बनी हुई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के बंटवाडे के वाद में प्रत्येक सह खातेदार के कब्जे एवं काश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिये था एवं रास्ता भी देना था तथा नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार स्वयं विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिये था । हस्तगत मामले में कुल भूमि 17 खसरो में आयी हुई है एवं कुल रकबा 800 बीघा से अधिक है, जिसमें हल्का पटवारी द्वारा वादीगण के कहे अनुसार कब्जे के विपरित बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया है, जिसको अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर लिया जो किसी भी सुरत में बहाल रखने काबिल नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री शुरू से गलत थी, जिसका वादीगण द्वारा धारा 151, 152 का प्रार्थना पत्र पेश कर संशोधन करवाया, तब अपीलार्थी के पिता भंवरसिंह फौत हुए थे, वादीगण द्वारा न तो कायम मुकाम की कार्यवाही की गई न ही कोई संशोधित शीर्षक पेश किया था।

दौराने बहस अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि हस्तगत मामले में दावा सन् 2008 में डिक्री हुआ है। आज दिनांक तक अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना नहीं हुई है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना में केवल खाते अलग किये गये। आज दिनांक में भी वादग्रस्त आराजी के नक्शा में तरमीम अंकित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 46/2002 अनवान विजयसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 सितंबर 2005 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 मई 2008 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निर्णित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी.2001(2) पेज 1233, आर.आर.टी.2010(2) पेज 1207, 2021(1)आर.जे.टी. पेज 130, आर.आर.डी.1999 पेज 208, आर.आर.टी.2014(1) पेज 258 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार औसियां द्वारा मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त के आधार पर ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया था तथा विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित होने के 17 साल बाद हस्तगत अपील प्रस्तुत की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी शुरूआत से ही रही है। पक्षकारान् मौके पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अनुसार ही काबिज काश्त है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत मामले में सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील पक्षकारान् के कुसंयोजन के आधार पर भी खारिज योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत मामले में केवल दो ही व्यक्तियों को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से आपत्ति है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.आर. डी.14.11.2019 पेज 735, आर.आर.डी.1985 पेज 694, आर.आर.डी.1994 पेज 616, आर. आर.डी.1992 पेज 608, आर.आर.डी.14.09.10.2020 पेज 320, आर.आर.डी.1992 पेज 124, आर.आर.डी.148.2009 पेज 531, आर.आर.डी.143.2009 पेज 150, आर.आर.डी.146. 2016 पेज 344, आर.आर.टी.2010(2) पेज 801, ए.आई.आर.1988(राज.) पेज 128, ए. आई. आर.2001(एस.सी.) पेज 1237 की न्यायिक नजीरे पेश की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ससम्मान परिशीलन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम को निस्तारित किया जाना उचित समझते है। अपीलांट्स का कथन है कि दौरान वाद में अपीलांट्स के पिता प्रतिवादी भंवरसिंह का देहांत हो चुका था। विचारण न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादी स्व. भंवरसिंह के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। रेस्पोडेंट्स पक्ष द्वारा भी दौराने वाद प्रतिवादी भंवरसिंह के फौते होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। न्यायिक उद्धरण 2021(1)आर.जे.टी. पेज 130 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि **यदि विलंब का ठोस कारण हो तो म्याद को कंडोन किया जा सकता है।** हस्तगत मामले में विचारण न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादी स्व. भंवरसिंह की कायम मुकाम कार्यवाही किये बिना तथा उसके वारिसान् को रेकर्ड पर लिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। रेस्पोडेंट्स पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में विलंब का संतोषजनक कारण नहीं होने से अपील को म्याद के बिंदु पर खारिज किये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। उक्त न्यायिक उद्धरणों के तथ्य हस्तगत प्रकरण से अलग होने से लागू नहीं होते है। लिहाजा अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का पर्याप्त एवं सद्भाविक कारण होने से न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25.10.2004 के अवलोकन प्रकट होता है कि तहसीलदार औसियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान् के कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का निम्बो का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तालाब द्वारा तैयार किया जाना पाया जाता है। आर.आर.टी.2014(1) पेज 258 में माननीय मण्डल की खण्ड–पीठ ने धारित किया है कि विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक है। हस्तगत मामले में विभाजन प्रस्ताव न ही तहसीलदार ओसियां द्वारा तैयार किया गया है तथा न ही तहसीलदार के हस्ताक्षर मौजूद है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल वादी पक्ष को सुनते हुए ही नियम विरूद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि–विरूद्ध एवं मृत व्यक्ति के विरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

दौराने बहस उभय पक्ष द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना में केवल जमाबंदी में खाते अलग हुए है। राजस्व नक्शा में आज दिनांक तक तरमीम अंकित नहीं हुई है तथा नक्शा आज भी सामलाती है। ऐसी स्थिति में विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाकर वादग्रस्त आराजी के विभाजन हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर ओसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 46/2002 अनवान विजयसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 सितंबर 2005 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 मई 2008 खारिज किये जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तहसीलदार बापिणी से उभय पक्ष की उपस्थिति में नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तलब कर, उस पर सभी पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार मामले में पुनः अंतिम डिक्री जारी करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर